

फर्द अहकाम

(नियम 13)

64

90MS
2020/0067
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री देवाराज

हलका भूका वडातसिडे

पुत्र श्री देवाराज जाति दादी

निवासी भूका वडातसिडे

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 64/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-20	<p>पटवारी हलका भूका वडातसिडे ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूका वडातसिडे के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 वर्ग फीट किस्म भूमि 5 गुंठे पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p>तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर</p>	
11-01-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पंचारे द्वारा पत्रावली दि. 18-01-2021 को पेश है।</p>	 देवाराज
18/01/2021	<p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश है।</p> <p>तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर</p>	 देवाराज

27-1-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साधल की तरफ से उनके वकील के उपस्थित होकर जवाब हेतु साधल याद ली दिनांक 10-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर

27/2/21
R.D.V.

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठारी अधिकारी आठ सिवांग उभरी पर पधार है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साधल अनुपस्थित। गैर साधल को जवाब हेतु साधल भवकर दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साधल अनुपस्थित। गैर साधल को जवाब हेतु बार-बार भवसर किये जाने के उपरान्त भी कोई विशिष्ट सम्पत्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गैर साधल को अतिउम्मी मानते हुए पत्रावली फौजल सुमार है। निर्वय मन्ग रा लिख्य जाकर शकिल पत्रावली है। पत्रावली फौजल सुमार होकर दायिल दफ्तर है।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर